



# बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)

Website:- [www.bsphcl.bih.nic.in](http://www.bsphcl.bih.nic.in)

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

पत्रांक \_\_\_\_\_/पटना,

दिनांक \_\_\_\_\_/2019

H-VIII/यौन-उत्पीड़न-11000/19

प्रेषक,

राजीव रंजन सिन्हा,  
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

सेवा में,

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना।  
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना।  
बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड पटना।

अति महत्वपूर्ण

विषय:- क्षेत्रीय कार्यालयों में यौन उत्पीड़न रोकने हेतु शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन-उत्पीड़न को रोकने एवं दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या-2193 दिनांक-03.12.2018 सहपठित कार्यालय आदेश संख्या-784 दिनांक-16.04.2019 एवं कार्यालय आदेश संख्या-1245 दिनांक-11.07.2019 द्वारा शिकायत निवारण समिति गठित है। बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के पत्रांक-80 दिनांक-03.12.2018 एवं पत्रांक-96 दिनांक-03.06.2019 के द्वारा Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 के धारा-4(1) के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर भी ऐसी समिति का गठन किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

उल्लेख करना है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण समिति के गठन की सूचना प्राप्त हुई हैं जबकि अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों से उक्त समिति की गठन की सूचना प्राप्त होना शेष है। जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में समिति की गठन की सूचना प्राप्त हुई है उसमें कतिपय कार्यालयों में पुरुष कर्मियों को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है तथा गठित समिति में गैर सरकारी संगठन के सदस्य को नामित नहीं किया गया है, जो कि उक्त प्रावधान के प्रतिकूल है। Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 के प्रावधान के अनुसार शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में महिला कर्मियों को ही नामित किया जाना है तथा उक्त समिति में गैर सरकारी संगठन अथवा वैसे संगठन जो कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबद्ध हो, से एक सदस्य को नामित किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 के उक्त प्रावधान के तहत अपने कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों यथा विद्युत आपूर्ति अंचल/विद्युत संचरण अंचल एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/संचरण प्रमंडल (जिसके कार्यक्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल/संचरण अवर प्रमंडल एवं विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में पदस्थापित कर्मियों भी शामिल रहेगें) में शिकायत निवारण समिति का दिनांक-25.08.2019 तक निश्चित रूप से गठन किये जाने हेतु अपने स्तर से निदेशित किया जाय तथा समिति के गठन की सूचना से इस कार्यालय को दिनांक-31.08.2019 तक अवगत कराने की कृपा की जाय। साथ ही, अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी निदेशित किया जाए कि वे अपने-अपने कार्यालय के सूचनापट पर इस समिति के गठन एवं सदस्यों का नाम मोबाईल नंबर के साथ प्रचारित करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

दिनांक \_\_\_\_\_/2019

ज्ञापांक \_\_\_\_\_/

प्रतिलिपि:-सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/संचरण जोन/सभी उप महाप्रबंधक-सह-विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/संचरण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों यथा विद्युत आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/संचरण प्रमंडल (जिसके कार्यक्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल/संचरण अवर प्रमंडल एवं विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में पदस्थापित कर्मी भी शामिल रहेंगे) में Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 के उक्त प्रावधान के तहत शिकायत निवारण समिति का दिनांक-25.08.2019 तक निश्चित रूप से गठन कर लिया जाय तथा समिति के गठन की सूचना से इस कार्यालय को दिनांक-31.08.2019 तक अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

दिनांक \_\_\_\_\_/2019

ज्ञापांक \_\_\_\_\_/

प्रतिलिपि:- विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रामकृष्णनगर (पेसू), पूर्वी, पटना/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)


महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

दिनांक 13-08-2019

ज्ञापांक 185 /

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डी०बी०ए०, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।



(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)